2-874-PBR/14

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में

निगरानी प्रकरण क्र. : ..../2014
प्रस्तुति दिनांक : .31..../01/2014

राजस्थानी ब्राम्हण परिषद् खण्डवा पंजीकृत सोसायटी द्वारा
(अ) अध्यक्ष– लक्ष्मीनारायण पिता श्री जवाहरलाल शर्मा,
(ब) सचिव–देवेन्द्र कुमार पिता श्री किशोरीलाल शास्त्री,
दोनो निवासी–भवानी माता रोड, खण्डवा (म.प्र.) ....प्रार्थीगण

विरूद्ध

श्री ... Adv प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 31/1/2014 को प्रस्तुत

1. रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज,
म.प्र. शासन प्रथम तल,
विध्याचंल भवन, भोपाल (म.प्र.)

2. श्रीमान तहसीलदार महोदय, खण्डवा
तहसील व जिला खण्डवा (म.प्र.) ....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर के द्वारा अपील प्रकरण कमांक 35/2013–14 में दिनांक 01/10/2013 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 874–PBR/2014 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–5–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1–10–2013 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा म0 प्र0 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है । उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अपर आयुक्त को नहीं होने से अपील निरस्त की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमिता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्ष्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	22/5/14